



**झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची**  
**JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI**

**सेन्दल सेक्टर स्कॉलरशीप स्कीम फॉर कॉलेज एवं युनिवर्सिटी के तहत वर्ष 2017 में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं एवं पूर्व से प्राप्त छात्रवृत्ति के नवीकरण हेतु आवेदन करने के संबंध में।**

**विज्ञापित संख्या - 49/2017**

सेन्दल सेक्टर स्कीम के लिए कॉलेज एवं युनिवर्सिटी के तहत वर्ष 2017 के Top 20 Percentile के अन्तर्गत कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में उत्तीर्ण वैसे छात्र/छात्रा इसके पात्र होंगे, जिन्होंने जैक-2017 की वार्षिक इण्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण किया हो साथ ही वैसे छात्र/छात्रा जिन्हें पूर्व में (2015-16 एवं 2016-17 में Fresh) राशि प्राप्त हो चुकी हो और वर्तमान में 1<sup>st</sup> Renewal के पात्र होंगे।

उपर्युक्त Scheme के तहत सारी जानकारियाँ National e-Scholarship के Portal (<http://Scholarships.gov.in>) पर आमंत्रित किये जाते हैं।

**आवेदन Online भरने की प्रक्रिया:-**

- Student Login कर New User पर Click करें।
- Student Register बटन पर Click कर अपनी विवरणी जैसे नाम, राज्य, Fresh या Renewal, पिता/माता का नाम तथा जन्म तिथि इत्यादि शुद्ध-शुद्ध भरें।

**महत्वपूर्ण सूचना:-**

- Registration केवल एक बार आवश्यक है।
- Data Submit करने से पहले सारी सूचना भली-भाँति जाँच लें।
- Submit के पश्चात् छात्रों का Permanent Registration ID प्राप्त होगा।
- Registration ID प्राप्त होने के पश्चात् अपना Registration ID एवं Date of Birth के द्वारा Login करें।
- आवेदन Online भरने की अंतिम तिथि 31.10.2017 है।
- उपर्युक्त Scheme के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसके लिए मात्र Online आवेदन <http://scholarships.gov.in> पर किया जाना है। झारखण्ड अधिविद्य परिषद् सिर्फ सूचना उपलब्ध कराती है।

**इस संबंध में सूचना राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अंगीभूत महाविद्यालयों को दी जा चुकी है।**

**नोट- वाधारहित छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु छात्र के पास आधार होना आवश्यक है एवं आधार का बैंक से Seeding आवश्यक है।**

JAC/CSSS/794/15/SECY/507/17  
Dt. 24.08.17  
D.O.P : 25.08.17

अध्यक्ष के आदेश से,  
ह./- (रजनीकांत वर्मा)  
सचिव,  
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।